संख्या-10/2015/ए-1-502/दस-2015-10(33)/2010

प्रेषक,

मुकेश मित्तल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (लेखा) अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक : 29 मई, 2015**

विषय :- सरकारी विभागों/उपक्रमों एवं निगमों द्वारा धनराशियों को बैंकों में जमा करना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-ए-1-122/दस-2012-10(33)/2010, दिनांक 21 मार्च, 2012 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें यह निर्देश हैं कि यदि किसी मामले में बैंक खाता खोले जाने की आवश्यकता पायी जाय तो विभाग द्वारा स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया सहित किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बचत खाता खोला जाना ही प्रस्तावित किया जाये एवं वित्त विभाग की स्वीकृति के उपरान्त ही बैंक खाता खोले जाने की कार्यवाही की जाये।

2- शासन के संज्ञान में यह तथ्य आया है कि कई विभागों द्वारा वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना ही बैंक खाते खोलकर संचालित किए जा रहे हैं। अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि समस्त विभाग/निगमों/सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि उनके यहाँ संचालित बैंक खाते वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना तो नहीं खोले/संचालित किए जा रहे हैं। यदि बैंक खाते वित्त विभाग की स्वीकृति के बिना खोले गये हैं, तो उन्हें तत्काल बन्द करा दिये जायें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3- इसके अतिरिक्त उक्त सन्दर्भित शासनादेश में यह व्यवस्था भी है कि यदि शासन द्वारा अवमुक्त धनराशियों को बैंक में रखकर ब्याज अर्जित किया गया है, तो अर्जित ब्याज संस्था की आय न होकर राज्य सरकार की आय होगी और अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया जाये। अतः अपने अधीनस्थ विभागों/संस्थाओं के सम्बन्ध में ब्याज के रूप में अर्जित आय को चिन्हित करते हुये इस तथ्य की समीक्षा भी कर ली जाये कि अर्जित आय को राजकोष में जमा करा दिया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार कृत कार्यवाही से वित्त विभाग को अवगत कराया जाये।

भवदीय,
मुकेश मित्तल,
सचिव।

संख्या-10/2015/ए-1-502(1)/दस-2015-10(33)/2010, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, श्री राज्यपाल, राजभवन, उत्तर प्रदेश।
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(5) समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(6) वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग।
(7) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (लेखा) अनुभाग-2.

आज्ञा से,
राजीव श्रीवास्तव,
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।